## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – भारती भारद्वाज आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 19/2020

ममता देवी पत्नि सरनाम सिंह जाति जाट निवासी मास्टर कोलोनी बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर
– – – – प्रार्थिया

बनाम

1. सीताराम पुत्र जगन्नाथ कौम वैश्य निवासी खेडा तहसील व जिला धौलपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

– – – – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251ए राज0
काश्त0 अधिनियम 2012

उपस्थितिः– श्री रामअवतार गोड़ एडवोकेट प्रार्थिया की ओर से
श्री देवेन्द्र कुलश्रेष्ठ एडवोकेट अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

**निर्णय** दिनांक – 06.12.2021

प्रार्थिया की ओर से आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया कि खसरा नम्बर 2261 व 2256 बाकै ग्राम खेडा तहसील व जिला धौलपुर की खातेदार काश्तकार है, तथा मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थिया के खातेदारी के उक्त खसरा नम्बरान में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 2262 बाकै ग्राम खेडा तहसील व जिला धौलपुर का उपयोग अप्रार्थी संख्या 1 की सहमति से प्रार्थिया करती चली आ रही हैं प्रार्थिया की खातेदारी की आराजी में आने जाने एवं कृषि कार्य हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी के रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई नजदीकी एवं सुगम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी चुनावी रंजिश की बजह से खसरा नम्बर 2262 में प्रार्थीया के कृषि कार्य हेतु आवागमन को अवरूद्ध करने पर उतारू है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी से रासते को बन्द नहीं किये जाने का कई मर्तवा मौखिक निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी प्रार्थीया के रास्ते को जबरन बन्द कर कृषि कार्य को रोकने पर उतारू है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 2 से स्वयं की खातेदारी की आराजी पर काश्त हेतु आने जाने के लिए नियमानुसार रास्ता उपलब्ध कराने हेतु कई मर्तवा मौखिक निवेदन किया है, परन्तु वह टालमटोल करते रहे, जिससे मौके पर आज भी कृषि कार्य हेतु आवाजाही बाधित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 2262 बाकै ग्राम खेडा तहसील व जिला धौलपुर में संलग्न नक्शानुसार 20 फुट चौडा

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)

एवं 150 फुट लम्बा रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में आम रास्ता दर्ज करने एवं तरमीम कराये जाने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सख्या 1 ने जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 2 से जरिये पत्रांक कोर्ट / 20 / 4295 दिनांक 12.10.2020 के द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में रिपोर्ट माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित प्रारूप में तलब की गई। तहसीलदार धौलपुर ने जरिये पत्राक राजस्व / 2020 / 527 दिनांक 12.11.2020 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2256, 2261, 2262 एक दूसरे से लगे हुए है, तथा खसरा नम्बर 2262 गैर मुमकिन चाह वर्तमान सिंचाई कार्य हेतु प्रयोग में नहीं लिया जा रहा है। कुआं की चौकोर मेढ संरचना के अतिरिक्त नेहची की भूमि पर पूर्वी ओर खरंजा एवं मकानात बने हुए है। उक्त खंरजा ग्राम आबादी से आता हैं। खसरा नम्बर 2262 में बने हुऐ इस खंरजा खसरा नम्बर 2261 तक पहुँचाने हेतु 90 फीट लम्बे रास्ते की आवश्यकता होगी। इस प्रकार खंरजा से खसरा नम्बर 2261 तक 20 फीट चौडा रास्ता दिये जाने (खसरा नम्बर 2261, 2256) पर पहुँचने पर रास्ता 20 X 90 अर्थात 1800 वर्ग फीट अर्थात 1 विस्वा भूमि उपयोग में आयेगी। मौके पर उपस्थित मौके पर उपस्थित मौतविरानों में से रज्जन खॉ पुत्र जाति गेंदा जाति मुसलमान निवासी खेड़ा द्वारा यह उज्र किया गया कि रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि उसके द्वारा खातेदार सीताराम पुत्र जगन्नाथ जाति वैश्य से लगभग 30 वर्ष पूर्व क्रय की ली गई है। एंव मौके पर उज्रकर्त्ता रज्जन खॉ द्वारा वरसी (चारा, फसल, कूप, पत्थर) डाल रखे है। मौके पर उक्त भूमि को रास्ते हेतु दिये जाने पर खातेदार सीताराम द्वारा असहमती जाहिर की। प्रस्तावित भूमि पर मौके पर रास्ता नहीं पाया गया। खसरा नम्बर 2256, 2261 के लिए प्रस्तावित रास्ते के अन्य कोई रास्ता नहीं है।

तहसीलदार धौलपुर की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.11.2020 पर उभयपक्ष को सुना गया। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त रिपोर्ट के सम्बन्ध में लिखित आपत्तियां पेश की, कि अप्रार्थी सीताराम आराजी खसरा नम्बर 2262 रकवा 5 विस्वा किस्म गैर मुमकिन चाह तहसील व जिला धौलपुर का तन्हा खातेदार काश्तकार है, तथा मौके पर काबिज है। प्रार्थीया को अपने खसरा नम्बर 2256 व 2261 पर जाने का रास्ता 2262 की मेड़ पर होकर पूर्व में नहीं था, ना ही आज है। पटवारी हल्का ने उक्त रिपोर्ट में यह गलत अंकित किया है कि उक्त खसरा नम्बर 2256 व 2261 खेडा पर अन्य कोई रास्ता नहीं है बल्कि उक्त खसरा नम्बर पर सडक खसरा नम्बर 2238 से लगा खसरा नम्बर 2257 व 2240 की मेड पर होकर नजदीकी रास्ता है जिस पर प्रार्थीया उपयोग व उपभोग कर रही है तथा स्वयं प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण से रंजिश होना बताया है तथा अप्रार्थी 80 साल का वृद्ध है जो चलने फिरने में असमर्थ है सीनियर सिटीजन हैं। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में बिना टाइटिल के कब्जा रज्जन खॉ पुत्र गेंदा जाति मुसलमान निवासी खेड़ा का बताया, वह गलत है जबकि अप्रार्थी सीताराम का मौके पर कब्जा व उपयोग उपभोग कर रहा है। पटवारी द्वारा बिना आधार दूसरे का कब्जा बताना गलत है, जो गवाह मौका रिपोर्ट में अंकित किये हैं, एक तो बाडी रहता है दूसरा प्रार्थीया का रिश्तेदार है, तथा मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थी सीताराम के गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है। जो रिपोर्ट तहसीलदार धौलपुर के काउण्टर हस्ताक्षर द्वारा प्रस्तुत की है उस पर अप्रार्थी सीताराम को एतराज है। मौका रिपोर्ट तहसीलदार धौलपुर द्वारा मौके पर

जाकर स्वयं तैयार करने के निर्देश दिये जाकर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीया ने तहसीलदार धौलपुर द्वारा स्वयं मौके पर जाकर पुनः मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किये जाने पर अपनी सहमति जाहिर की।

उभयपक्ष की सहमति के आधार पर उक्त रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या 1 की आपत्ति स्वीकार कर तहसीलदार धौलपुर से जरिये पत्रांक कोर्ट/2021/436 दिनांक 20.03.2021 द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धौलपुर ने जरिये पत्रांक राजस्व/2021/309 दिनांक 13.09.2021 द्वारा पुनः रिपोर्ट पेश की कि आराजी खसरा नम्बर 2256, 2261, 2262 एक दूसरे से लगे हुए है, कुआं की चौकोर मेढ़ संरचना के अतिरिक्त नेहची की भूमि पर पूर्वी दिशा की ओर खरंजा एवं मकानात बने हुए है। उक्त खंरजा ग्राम आबादी से आकर खसरा नम्बर 2260 की मेढ से लगा हुआ आता है। खसरा नम्बर 2262 में बने हुऐ इस खंरजा खसरा नम्बर 2261 तक पहुॅचाने हेतु 90 फीट लम्बे रास्ते की आवश्यकता होगी। इस प्रकार खंरजा से खसरा नम्बर 2261 तक 20 फीट चौडा रास्ता दिये जाने पर 20 X 90 = 1800 वर्ग फीट भूमि उपयोग में आयेगी। प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते पर वर्तमान में पत्थर, कूप, पिटोरा, चारा फसल स्थित है। चूंकि प्रस्तावित रास्ता आबादी के निकट है तथा इसके अलावा कोई ओर नजदीकी रास्ता नहीं है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीया के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दुहराते हुए कथन किया कि उनकी खातेदारी की आराजी में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है इसलिए कृषि कार्य हेतु अपनी खातेदारी की आराजी में आने जाने के अप्रार्थी संख्या 1 के आराजी खसरा नम्बर 2262 बाकै ग्राम खेड़ा तहसील व जिला धौलपुर में से होकर रास्ता दिलाया जावे इसके लिए प्रार्थीगण उचित मुआवजा दिये जाने को सहमत हैं। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता आराजी के पास उपलब्ध नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीया को अपनी आराजी पर जाने का रासता 2262 की मेड़ पर है ही नहीं। तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट दिनांक 13.09.2021 में यह गलत बताया है कि उक्त खसरा नम्बर 2256 व 2261 खेडा पर अन्य कोई रास्ता नहीं है बल्कि उक्त खसरा नम्बर पर सडक खसरा नम्बर 2238 से लगा खसरा नम्बर 2257 व 2240 की मेड पर होकर नजदीकी रास्ता है जिस पर प्रार्थीया उपयोग व उपभोग कर रही है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी को रंजिश के चलते परेशान करना चाहती है। उसकी आराजी हड़पना चाहती है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया ने उसकी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 2261, 2256 ग्राम खेडा में कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए खसरा नम्बर 2262 ग्राम खेड़ा में से रास्ता चाहा हैं। अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि प्रार्थीया के आराजी खसरा नम्बर 2256 व 2261 खेडा का नजदीकी रास्ता सडक खसरा नम्बर 2238 से लगा खसरा नम्बर 2257 व 2240 की मेड पर होकर है। जिसका प्रार्थीया उपयोग व उपभोग कर रही है। अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा संख्या 2262 में से होकर कभी आवागमन नहीं हुआ है। तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट, के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2262 पर पूर्वी दिशा की ओर खरंजा एवं मकानात बने हुए है।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)

उक्त खंरजा ग्राम आबादी से आकर खसरा नम्बर 2260 की मेढ से लगा हुआ आता है। खसरा नम्बर 2262 में बने हुऐ इस खंरजा खसरा नम्बर 2261 तक पहुँचाने हेतु 90 फीट लम्बे रास्ते की आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ताा आबादी के निकट है तथा इसके अलावा कोई ओर नजदीकी रास्ता नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा ट्रेस, नजरी नक्शा, तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थिया की आराजी खसरा संख्या 2261 अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी 2262 से लगी हुई है। आराजी खसरा नम्बर 2262 में पूर्वी दिशा में खरंजा व मकानात है तथा उक्त खंरजा ग्राम आबादी से आकर खसरा नम्बर 2260 की मेढ से लगा हुआ है जिसे खसरा नम्बर 2261 तक पहुँचाने हेतु 90 फीट लम्बे रास्ते की आवश्यकता है, इस प्रकार खंरजा से खसरा नम्बर 2261 तक 20 फीट चौडा रास्ता दिये जाने पर 20 X 90 = 1800 वर्ग फीट भूमि उपयोग में आयेगी। प्रस्तावित रास्ता आबादी के निकट है तथा प्रस्तावित रास्ते के अलावा कोई अन्य नजदीकी रास्ता नहीं है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने जिस सडक खसरा नम्बर 2238 से लगा खसरा नम्बर 2257 व 2240 की मेड पर होकर नजदीकी रास्ता होना बताया है, इस सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) के अन्तर्गत कृषि कार्य हेतु रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त तथ्यों एवं तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट के आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2262 ग्राम खेड़ा तहसील धौलपुर में पूर्वी दिशा में बने खरंजा से खसरा नम्बर 2261 तक पहुँचाने हेतु 90 फीट लम्बे रास्ता निकाले जाने के आदेश दिये जाते हैं। अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में से चाहे गये रास्ते की भूमि 20 X 90 फुट को गैर मुमकिन रास्ता तब दर्ज किया जावे जब प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की रास्ते में गयी भूमि के डीएलसी मूल्य से दुगुनी कीमत, राजकोष में अमानत मद में बतौर मुआवजा जमा करा दी हो। यदि रास्ते में जाने वाली भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई नवीनतम दिशा–निर्देश जारी किये गये हो तो उक्त नवीनतम दिशा निर्देशों की पालना कर अप्रार्थी संख्या 1 को मुआवजा राशि प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जावे। तहसीलदार धौलपुर आदेश की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भारती भारद्वाज)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)